	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 26, मंगलवार, *शाके* 1947- मार्च 17, 2026 Phalguna 26, Tuesday, Saka 1947- March 17, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

अधिसूचना

अलवर, अक्टूबर 14, 2025

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

संख्या यूआईटी/आवंटन/भू.उप.परि./2025/9257-60 :-श्रीमती मीना जैन पत्नी श्री विजेन्द्र कुमार जैन एवं श्रीमती नताशा जैन पत्नी श्री मृणाल कुमार जैन निवासी-बी-67 अशोक विहार कर्मचारी कॉलोनी, जिला अलवर के द्वारा भूखण्ड संख्या ए-4, ए-5 योजना शालीमार नगर जिसका क्षेत्रफल 409.69 वर्गमीटर है, का आवासीय से व्यावसायिक उपयोग चाहा गया है। वर्तमान में मास्टर प्लान-2051 के अनुसार आवासीय एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनुसार मिश्रित उपयोग दर्शाया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 28.08.25 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त भूखण्ड को मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

उक्त भूखण्ड के मध्य भू उपयोग परिवर्तन राशि 5,08,423/-रु, आवासीय से व्यावसायिक एक मुश्त लीज लीज राशि 9,64,131/-रु, एन.सी.पी. शून्य एंव बी0एस0यू0पी0 शैल्टर फण्ड राशि 10,242/-रु कुल राशि 14,82,796/-रू जर्ये रसीद संख्या 3420/35 दिनांक 06.10.2025 एवं 3410/44 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा न्यास कोष मे जमा करा दिये गये है।

अतः राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन संशोधन नियम-2021 दिनांक 24.02.2021 के प्रावधान के अन्तर्गत भू-उपयोग नियंत्रण हेतु दिनांक 14.10.2024 को जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियत्रंण उपविधियों के अनुसार मास्टर प्लान/जोनल प्लान में मुख्य सडकों के दोनों ओर दर्शित पट्टी में एकल उपयोग प्रस्तावित होने पर मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन अनुज्ञेय निम्न शर्तो के साथ किया जाता है।

01. भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 से संबंधित अधिसूचना दिनांक 28.10.2010 व दिनांक 24.02.2021 एवं राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के सबंध में समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र में उल्लेखित समस्त सम्बन्धित प्रावधानों की पालना की जानी होगी।
02. प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जावेगी जिससे उस क्षेत्र की शान्ति भंग हो।
03. यह केवल मात्र आवेदित भूमि मिश्रित भू-उपयोग के परिवर्तन की स्वीकृति, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व/वैधता एवं निर्माण की नियमितता के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।

04. नगरीय विकास आवासन मण्डल एंव स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के अधिसूचना क्रमांक प.11(8)नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 के द्वारा पट्टा/आवंटन शुदा भूखण्ड में आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से भू-उपयोग परिवर्तन की देय राशि नियमानुसार जमा तिथि से भू-उपयोग परिवर्तन के अनुसार लीजडीड/पूरक लीजडीड पंजीकरण कराया जावें।
05. राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 अथवा साईट-प्लान के अनुसार जो भी अधिक हो, समस्त प्रावधान रखना होगा।
06. भूखण्ड पर प्रस्तावित उपयोग अनुसार न्यास से प्रचलित भवन निनियमों अनुसार सैंटबेक की सूनिश्चितता करते हुए भवन मानचित्र अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा।
07. अन्य कोई देय शुल्क जमा होने से रह गया तो नियमानुसार जमा कराना होगा।
08. सलंग्नः-अनुमोदित साईट प्लान

स्नेहल धायगुडे नाना,

सचिव,

नगर विकास न्यास, अलवर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।